:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूँगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– महावीर प्रसाद जैन आर.ए.एस.

मूकदमा नम्बरः– 20/24

1. श्री हीरा पिता बदा रोत निवासी खुमानपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. कंकु पुत्री धना रोत
2. कमजी पुत्र बदीया रोत
3. खातरा पुत्र शंकर रोत
4. तुलसी पत्नि धना रोत
5. नानी पत्नि बदीया रोत
6. महेन्द्र पिता धना रोत
7. रतन पत्नि शंकर रोत
8. रमीला पुत्री धना रोत
9. राजमल पुत्र बदीया रोत
10. रामसन पिता शंकर रोत
11. लक्ष्मण पिता बदीया रोत
12. सविता पिता धना रोत
13. सोमा पिता धना रोत निवासी खुमानपुरा तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।
14. भूमिधारी तहसीलदार चिखली जिला डूंगरपुर।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

:: निर्णय :: दिनांक 15/04/2026

प्रकरण का संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण गांव खुमानपुरा के स्थायी निवासी है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अपने संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि पर कृषि कार्य करके अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है।

यह कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा खुमानपुरा में खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 579/82, 580/169 खेत किता 2 रकबा 0.4854 है0 एवं प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम खुमानपुरा में खाता संख्या 43 खसरा नम्बर 205, 206, 385, 666/528 खेत किता 4 कुल रूकबा 2.3866 है0 होकर स्थित है। जिस पर काबिज है।

यह कि प्रार्थी व वास्तवित नाम हीरा होने के बावजुद भी उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में मौजा खुमानपुरा के खाता संख्या 35 व खाता संख्या 43 की आराजी में प्रार्थी का नाम जीवा गलत रूप से अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजात में उसका नाम हीरा ही है तथा प्रार्थी हीरा के नाम से ही जाना पहचाना जाता है।

यह कि पुरा खुमानपुरा गांव में हीरा पिता बदा नाम का एक ही पुरूष है। तथा जीवा पिता बदा नाम का कोई पुरूष नही है। हिरा जो की पुरूष है।

यह कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत चल रहा है जबकि उसे सधार किया जाकर जीवा पिता बदा के स्थानप र हीरा बदा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

यह कि राजस्व रिकॉर्ड में सुधार नहीं किये जाने पर अकारण ही परेशानी हो रही है।

यह कि जरीये इन्द्राज दुरूस्ति राजस्व रिकॉर्ड आराजी नम्बर जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र के कॉलम संख्या 2 में किया गया है। किजसमें दर्ज नाम जीवा पिता बदा के स्थानप र हीरा पिता बदा दर्ज किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित। दिनांक 27.11.2024 को अप्रार्थीगण संख्या 1 से 13 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट मंगवाई गई। 23.07.2025 को तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण मौजा खुमानपुरा के खाता संख्या 35 खसरा संख्या 579/82, 580/169 किता 2 रकबा 0.4854 है0 व खाता संख्या 43 खसरा संख्या 205, 206, 385, 666/528 किता 4 रकबा 2.3866 है0 भूमि खातेदार जीवा पुत्र बदा मीणा के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से काबिज है। प्रार्थी का वास्तविक नाम हीरा पुत्र बदा रोत के बावजुद उपरोक्त राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जीवा पुत्र बदा मीणा दर्ज है। वादीगण हीरा पुत्र बदा रोत के राशनकार्ड, मतदाता पहचान

पत्र, जनआधार कार्ड व आधारकार्ड में जीवा पुत्र बदा रोत नहीं होकर हीरा पुत्र बदा रोत वास्तविक नाम दस्तावेज में दर्ज है।

तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा उनके पक्ष में ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/गवाह पेश नहीं किया गया जिससे प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में जीवा के स्थान पर हीरा नाम दर्ज किया जा सके। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2026 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद जैन)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली